सत्र परीक्षण सं0–403A/2011

UPJB010015072011

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–03 , जनपद अमरोहा।

पीठासीन अधिकारी–संजय चौधरी (उच्चतर न्यायिक सेवा)

सत्र परीक्षण सं0–403A/2011

सरकार बनाम **अमित पुत्र सुल्ली,**
निवासी ग्राम राजपुर , थाना सिम्भाबली , जिला गाजियाबाद।

मुकदमा अपराध सं0–161/2011
धारा–395,397,412, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता
थाना–रजबपुर , जिला अमरोहा।

निर्णय

मामले के तथ्य–

1. यह सत्र विचारणीय मुकदमा न्यायिक मजिस्ट्रेट अमरोहा के सुपुर्दगी आदेश दिनांक 24.09.2011 के उपरान्त सत्र न्यायालय में क्रमांक 403/2011 पर दर्ज होने के उपरान्त संस्थित हुआ तथा अभियुक्त अमित पुत्र सुल्ली की लगातार अनुपस्थिति के कारण उसकी पत्रावली सत्र परीक्षण संख्या 403/2011 से पृथक होकर सत्र न्यायालय में क्रमांक संख्या 403A /2011 पर दर्ज हुई , जो आज विचारण के पश्चात निर्णय के लिए प्रस्तुत हुयी है।

2. इस प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 14.03.2011 को वादी मुकदमा राजीव भटनागर व उसके साथ तेजपाल सिंह, कृपाल सिंह ग्राम लोधीपुर वंजारा, थाना अमरोहा देहात व राजपाल सिंह , ग्राम नगलिया , थाना रजबपुर व रणविजय सिंह , ग्राम प्रजावली , थाना असमोली अपनी गाड़ी नम्बर यू.पी. 21 जेड 2340 सेन्टो , जिसे ड्राईवर सोनू पुत्र मुन्नु सिंह ग्राम पचखेड़ा , थाना कटघर चला रहा था। गाड़ी में टोल टैक्स की बसूली का पैसा 20,92,845/– रूपये बैंक में जमा करने हेतु जोया जा रहे थे। टोल टैक्स से ग्रीन वैली होटल के बीच में करीब 10.45 बजे एक बुलेरों ने ओवर अटैक करने के लिए गाड़ी में टक्कर मारी जिससे वादी मुकदमा की गाड़ी डिवाईडर पर चढ़ गयी। बुलेरो में से पांच लोग अपने हाथ में तमंचे और डंडे लेकर उतरे और आते ही ड्राईवर को गाड़ी से बाहर खींच लिया तथा उसके सिर में तमंचे की वट उसके माथे पर मारी और उसके हाथों में डंडे मारे और गाड़ी में रखे हुये दो बेग जिसमें एक में रूपये 20,92,845/–रूपये व दूसरे बेग में लेपटॉप छिन लिया और उनके उपर तमंचों से फायर किये जिससे सनसनी फैल गयी। हाईवे पर आते जाते वाहन जहां के तहां रूक गये , एकदम लोक

Digitally signed by SANJAY CHAUDHARY
Date: 2026.06.03 16:20:08 PKT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

व्यवस्था भंग हो गयी। लोग बय के कारण अपनी–अपनी गाड़िया छोड़कर खेतों की तरफ भेग गये। बदमाश पैसा लूटकर अपने बुलरों से सवार होकर भागने लगे तो उसने अपनी पिस्टल से फायर किया , फायर टायर में लगा जिससे गाड़ी पिन्चर हो गयी। बदमाश गाड़ी छोड़कर दोनों बेग लेकर जंगल की तरफ भाग गये। उसी समय पपसरे के प्रधान कुलदीप सिंह मौके पर आ गये जिन्होंने अपने मोबाईल से पुलिस को सूचना दी जिस पर थाना डिडौली पुलिस रजबपुर थाने की पुलिस व थाना रजबपुर में कैम्प रहे पुलिस अधिकारी भी तुंरत मौके पर पहुंच गये। बदमाश सरकड़ी अजीज के जंगल में एक गन्ने के खेत में घुस गये। खेत को पुलिस ने गांववालों की मदद से घेर लिया तथा बदमाशों को अच्छी तरह से देखा व पहचाना है।

इस लिखित सूचना पर थाना रजबपुर में दिनांक 14.03.2011 को समय 11.30 बजे मुकदमा अपराध सं०–161/2011 अंतर्गत धारा 395 व 397 भारतीय दण्ड संहिता , 05 बदमाश नाम पता अज्ञात के विरुद्ध दर्ज किया गया। मामले की विवेचना की गयी तथा विवेचना के दौरान अभियुक्तगण खुर्शीद, सलमान खां, नदीम, आमिर खां व अमित पुत्र ओमप्रकाश के विरूद्ध धारा 395, 397, 412, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आरोप पत्र सं०–79/2011 दिनांकित 27.04.2011 तथा अभियुक्त अमित पुत्र सुल्ली के विरूद्ध पृथक रूप से धारा 395, 397, 412, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आरोप पत्र सं०–79 ए/2011 दिनांकित 25.06.2011 तैयार करते हुए विवेचना पूरी की गयी। अभियुक्तगण सलमान खां व आमिर खां बाल अपचारी होने के कारण उनकी पत्रावली इस पत्रावली से पृथक की गयी। इसके पश्चात दिनांक **16.11.2011** को अभियुक्तगण खुर्शीद, नदीम, अमित पुत्र ओमप्रकाश व अमित पुत्र सुल्ली के विरुद्ध धारा 395, 397, 412 व 120 बी भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आरोप तय किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप का खण्डन किया और विचारण की मांग की। अभियुक्त अमित पुत्र सुल्ली की लगातार अनुपस्थिति के कारण उसकी पत्रावली सत्र परीक्षण संख्या 403/2011 से पृथक होकर सत्र न्यायालय में क्रमांक संख्या 403A /2011 पर दर्ज हुई। अभियोजन का साक्ष्य लेने के उपरान्त दिनांक **14.05.2026** को अभियुक्त अमित पुत्र सुल्ली की परीक्षा धारा 313 दं0 प्र0 सं0 की गयी। अभियुक्त ने घटना का खण्डन किया और स्वयं को निर्दोष बताया।

3. <u>अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किया गया मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य इस प्रकार हैं</u>–

क. मौखिक साक्ष्य

क्र0 सं0	साक्षी संख्या	साक्षी का नाम	प्रकृति
1.	पी.डब्लू. 1	तेजपाल सिंह	चक्षुदर्शी साक्षी
2.	पी.डब्लू. 2	निरीक्षक देवेन्द्र सिंह धामा	बायरलैस सैट की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंचने वाला साक्षी
3.	पी.डब्लू. 3	सोनू पुत्र मुन्नु सिंह	चक्षुदर्शी साक्षी (वादी का ड्राईवर)
4.	पी.डब्लू. 4	सेवानिवृत्त उ0नि किरनपाल सिंह	प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक

सत्र परीक्षण सं0–403A/2011

ख. दस्तावेजी साक्ष्य

क्रम सं0	प्रदर्श संख्या	अभिलेखीय प्रपत्र
1.	प्रदर्श क–1	फर्द
2.	प्रदर्श क–2	तहरीर
3.	प्रदर्श क–3	प्रथम सूचना रिपोर्ट की छायाप्रति
4.	प्रदर्श क–4	रपट नम्बर 28 की छायाप्रति
5.	प्रदर्श क–5	नक्शा नजरी की छायाप्रति
6.	प्रदर्श क–6	नक्शा नजरी की छायाप्रति
7.	प्रदर्श क -7	नक्शा नजरी की छायाप्रति
8.	प्रदर्श क- 8	आरोप पत्र संख्या 79/2011
9.	प्रदर्श क –9	आरोप पत्र संख्या 79ए/2011

4. <u>अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये मौखिक साक्षियों की मुख्य परीक्षा/सुसंगत अंश क्रमवार इस प्रकार हैं</u>–

साक्षी **पी0 डब्लू0–1 तेजपाल सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांक 29.10.2025 में कथन किया है कि दिनांक 14.08.2011 को मैं हाईवे टोल प्लाजा पर एकाउंटेंट के पद पर तैनात था। उस दिन समय करीब 10.45 बजे दिन दो दिन का कैश करीब 20,92,845/–रूपये गाड़ी नम्बर यू.पी. 21 जेड 2240 से मैनेजर राजीव भटनागर , राजपाल सिस्ट इंचार्ज , गाड़ी चालक सोनू व रणविजय के साथ केश को लेकर जोया बैंक में जमा करने जा रहे थे , जब हमारी गाड़ी टोज वेरियर से दो किलो मीटर जोया की तरफ होटल ग्रीन वैली के पास आयी तो पीछे से एक बुलेरो गाड़ी जिसकी नम्बर प्लेट पर डी.एल. 4 सी. एन.ए. 2682 लिखा था, ने हाईवे पर हमारी गाड़ी में टक्कर मार दी जिससे हमारी गाड़ी डिवाईडर पर चढ़ कर रूक गयी, तभी बुलेरों गाड़ी से पांच लड़के एक दम से उतरे और हमारी गाड़ी पर कब्जा कर लिया। हमने विरोध किया तो सबने हम पर डंडों व तमंचो की बट से मारपीट की। राजीव भटनागर से एक लेपटॉप व मुझ से कैश 20,92,845/–रूपये से भरा बैग जबरन लूट ले गये। जब बदमाश लूट कर बुलेरो गाड़ी से भागने लगे तो राजीव भटनागर ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से बुलेरों के पहिये में गोली मार दी जिससे बुलेरों गाड़ी रूक गयी। पांचों बदमाश गाड़ी से निकलकर लेपटॉप व कैश को लेकर दक्षिण की दिशा को भाग गये थे। इस घटना से हाईवे पर अफरा तफरी मच गयी थी। मौके पर पपसरा के कुलदीप सिंह आ गये थे जिन्होंने पुलिस को सूचना दी, पुलिस आ गयी थी। जनता व पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया था। घटना की रिपोर्ट मैनेजर राजीव भटनागर ने बोल–बोलकर मुझ से लिखवायी थी। घटना में मेरे चोट आयी थी। थाने से मुझे अस्पताल भेज दिया था। उसके बाद हमे थाने बुलाया था और पुलिस ने चार बदमाशों को पकड़ा था और कैश बरामद किया था , उसकी पहचान मुझ से करायी थी। बदमाशों से बरामद कैश की गाड़ियों पर जो रेपर लगे थे उन पर लिमिटेड एन.एच 24 टोल प्लाजा की मोहर लगी हुई थी। जिस पर पुलिस ने नमूना अगले दिन टोल प्लाजा

पर लिया था। नमूने पर मेरे भी हस्ताक्षर कराये थे। मैंने वाद में जेल में एक मुल्जिम की शिनाख्य की थी , जो चार बदमाश पहले थे , उन्हे भी मैंने पहचान लिया था। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।

साक्षी पी0 डब्लू0–2 नि0 देवेन्द्र सिंह धामा ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांक 25.02.2026 में कथन किया है कि दिनांक 14.03.2011 को मै चौकी जोया थाना डिडौली, अमरोहा पर तैनात था। उस दिन जरिये बायरलैस सैट सूचना मिली कि कुछ बदमाश टोल प्लाजा पर लूट करके भाग रहे हैं। सूचना के आधार पर मैं तथा चौकी पर मौजूद का० ओमवीर सिंह, का० विरेन्द्र सिंह को साथ लेकर ग्राम सरकरी अजीज पहुँचा तो गांव वालो ने बताया कि अभी कुछ बदमाश जसपाल प्रधान के गन्ने के खेत मे घुसे हैं। मैं भी फोर्स के साथ गन्ने के खेत के पास रूक गया और बदमाशों को घेर लिया तभी एस० ओ० रजबपुर श्री राजेश कुमार सिंह मय फोर्स के पहुँच गये। ग्राम वासियो की मदद से एस 0 ओ 0 महोदय ने दो टीमे बनायीं मुझे द्वितीय पार्टी का इंचार्ज बनाया गांव वालो को पूरब–पश्चिम मे लगाकर तथा दक्षिण की ओर से मैं तथा उत्तर की ओर से एस ० ओ० रजबपुर राजेश कुमार सिंह मय टीम के अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु गन्ने के खेत मे घुसे तो बदमाशों ने प्रथम पार्टी एस ० ओ० रजबपुर राजेश कुमार सिंह की टीम पर फायर कर दिया तथा एक बदमाश मौके से भागा जिसका पीछा मेरे द्वारा मय टीम के किया गया तथा मेरे द्वारा फायर भी किये गये परन्तु भागा हुआ बदमाश मिल नही सका। जब मै वापिस टीम के पास पहुँचा तो प्रथम टीम द्वारा चार अभियुक्तगण खुर्शीद पुत्र तेवर निवासी ग्राम राजपुर थाना सिम्भावली जनपद गाजियाबाद, दूसरे ने अपना नाम सलमान खान पुत्र ऐजाज अहमद, तीसरे ने अपना नाम नदीम पुत्र शफीक, चौथे ने अपना नाम आमिर खान पुत्र छोटे निवासीगण उपरोक्त बताया था। अभियुक्तगण के कब्जे से अलग–अलग खुर्शीद से 17,92,845/–रूपये नकद, काले रंग के बैग मे तथा एक अदद देशी तमंचा 315 बोर चालू हालत में, एक मोबाइल नोकिया तथा दो जिंदा 315 बोर कारतूस, सलमान से 1,000,00/–रूपये नकद, एक देशी तमंचा 315 बोर, एक खोका, दो जिंदा कारतूस, एक लैपटॉप, नदीम से एक देशी तमंचा 12 बोर, एक खोका कारतूस, दो जिंदा कारतूस, 1,000,00/–रूपये नकद तथा आमिर खान से एक देशी तमंचा 12 बोर, दो जिंदा कारतूस, एक खोका कारतूस व 1,000,00/–रूपये नकद बरामद हुये थे तथा अभियुक्तगण ने मौके से भागे अभियुक्त का नाम अमित पुत्र ओमप्रकाश जाति सैनी निवासी ग्राम राजपूत थाना सिम्भौली, गाजियाबाद बताया था तथा बरामद नकद व लैपटॉप टोल कर्मियो से लूटने की बात बतायी थी व मोबाइल को एक माह पहले गजरौला थाना क्षेत्र के अन्तर्गत एक सैंट्रो गाड़ी चोरी करने के बारे मे बताया था तथा मोबाइल भी उसी गाड़ी मे बरामद हुआ था। फर्द मौके पर एस० ओ० राजेश कुमार सिंह के द्वारा बोल–बोलकर उ० नि० रामखिलौना शर्मा से लिखवायी गयी थी। फर्द बोलकर, पढ़कर सुनाकर सभी कर्मचारीगण व अभियुक्तगण के हस्ताक्षर बनवाये गये थे। मूल फर्द पत्रावली के साथ संलग्न पत्रावली सत्र परीक्षण संख्या 403/2011 पर तीन प्रतियो मे संलग्न है जिस पर मेरे भी हस्ताक्षर बने है पहचानता हूँ साबित करता हूँ जिस पर पूर्व से ही प्रदर्श क–11 पड़ा है तथा आज पुनः प्रदर्श क–1 डाला गया। फर्द की एक कॉर्बन प्रति सभी अभियुक्तगण की सहमति पर अभियुक्त खुर्शीद को दी गयी थी। मेरा बयान इस अपराध से सम्बन्धित पत्रावली सत्र परीक्षण संख्या 400 लगायत 404/11 मे पूर्व मे भी हुआ था। उस समय इस अपराध मे मेरे सामने बरामद सभी माल मुकदमा न्यायालय के समक्ष पेश कर साबित किया गया था। विवेचक ने मेरे बयान लिये थे।

साक्षी **पी0 डब्लू0–3 सोनू पुत्र मुन्नू सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांक 13.04.2026 में कथन किया है कि दिनांक 14.03.11 को मैं जोया टोल प्लाजा के मैनेजर राजीव भटनागर की गाडी पर ड्राईवर के रूप मे तैनात था। इस दिन मैनेजर साहब राजीव भटनागर और कैसियर तेजपाल सिंह टोल का कैश बैंक में जमा करने के लिये जा रहे थे। गाडी मैं चला रहा था। हम जिस गाडी से जा रहे थे वह सैन्ट्रो थी , जिसका नं. यूपी 21 जेड 2340 था। जैसे ही हम लोग टोल

प्लाजा से लगभग 2 किलोमीटर जोया की तरफ पहुंचे तो पीछे से एक सिलेटी रंग की बूलेरो दिल्ली नं. ने हमारी गाडी में आकर साईड से टक्कर मार दी जिससे हमारी गाडी डिवाईडर पर चढ गयी , उस बुलेरो कार में पांच लोग मय ड्राईवर के सवार थे। तभी बुलेरो मे से चार लोग उतरे जिनके हाथों में डण्डे और तमंचे थे उन्होंने तुरन्त उतरकर हमारी गाडी घेर ली थी और बुलेरो चालक बुलेरो को स्टार्ट करके खडा था। मैनेजर राजीव भटनागर ने उनसे पूछा कि क्या बात है तभी उन बदमाशो ने राजीव भटनागर के हाथ मे और सिर मे डण्डे मारे जिससे उनके काफी चोट आयी थी। दूसरी तरफ से केशियर तेजपाल के साथ भी बदमाशों ने मारपीट की और तमंचो और डण्डो के बल पर इन बदमाशो ने गाडी मे रखे दो बैग जिनमे से एक मे लेपटॉप व अन्य कागजात तथा दूसरे बैग मे टोल प्लाजा का कैश था, लूट लिये और दोनो बैग जबरदस्ती लूट कर बुलेरो में बैठकर भागने लगे तभी मैनेजर साहब ने बुलेरो के टायर में अपनी पिस्टल से फायर किया जिससे टायर बस्ट हो गया और बुलेरो थोडी आगे चलकर रूक गयी और गाडी मे से पांचो बदमाश निकलकर खेतो मे भाग गये। तभी मौके पर गांव पपसरा के प्रधान जी आ गये जिन्होंने पुलिस को फोन करके सूचना दी और गांव के काफी लोग भी मौके पर आ गये। गांव के लोगो ने जिस खेत मे ये बदमाश भागे थे उस खेत को घेर लिया। खेत ईख का था। पुलिस भी मौके पर आ गयी पुलिस ने भी खेत को घेर लिया था। इसके बाद मैनेजर राजीव भटनागर, तेजपाल सिंह और मैं थाने गये थे। थाने में तहरीर राजीव भटनागर ने बोल बोलकर तेजपाल सिंह से लिखवाकर अपने हस्ताक्षर करके थाने पर दी थी। तहरीर की मूल प्रति पत्रावली के साथ संलग्न पत्रावली एसटी सं0–403/2011 पर संलग्न है। इसकी छायाप्रति पत्रावली पर मौजूद है जो मेरे सामने है यह तहरीर मैनेजर राजीव भटनाकर ने बोल बोलकर तेजपाल से लिखवाकर अपने हस्ताक्षर करके थाने पर दी थी। इस पर उनके हस्ताक्षर बने है। इस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। बदमाशो को मैने भलभांति पहचानता था जिनमे से गाडी चलाने वाले व्यक्ति को मैने मौके पर भी देखा था और खेतो मे भागते हुए देखा था। यह व्यक्ति इस दिन घटना से पहले टोल प्लाजा पर मोटरसाईकिल से चक्कर लगाते हुए भी देखा गया था जो सीसीटीवी कैमरे मे भी था। आज अभियुक्त न्यायालय मे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नही है। इस कारण मुख्य परीक्षा स्थगित की जाती है।

साक्षी **पी0 डब्लू0–4 उ0 नि0 किरनपाल सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांक 05.05.2026 में कथन किया है कि दिनांक 14.03.2011 को मैं बतौर हैड मोहर्रिर थाना रजबपुर पर तैनात था। इस दिन वादी मुकदमा राजीव भटनागर एक हस्तलिखित तहरीर लेकर थाने पर आये थे, उस हस्तलिखित तहरीर के आधार पर शब्द–व–शब्द मेरे द्वारा मेरे हस्तलेख में चिक संख्या 34/11 पर मु0अ0सं0 161/2011 धारा 395,397 भा० दं० सं० की प्र० सू० रि० पंजीकृत की गयी थी, जिसकी मूल प्रति पत्रावली के साथ संलग्न पत्रावली सत्र परीक्षण संख्या 403/2011 पर संलग्न है, इसकी छायाप्रति पत्रावली पर मौजूद है, इस पर मेरे हस्ताक्षर बने है पहचानता हूँ साबित करता हूँ जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। इसका खुलासा मेरे द्वारा रपट नंबर 28 समय 11:30 बजे दिनांकित 14.03.2011 में सेम प्रोसेस में किया गया था। जिसकी कॉर्बन प्रति पत्रावली के साथ संलग्न पत्रावली सत्र परीक्षण संख्या 403/2011 पर संलग्न है इसकी छायाप्रति पत्रावली पर मौजूद है इस पर मेरे हस्ताक्षर बने है पहचानता हूँ साबित करता हूँ जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया। मेरे साथ थाने पर राजेश कुमार सिहं बतौर थानाध्यक्ष तैनात थे इस मुकदमे की पहले विवेचना थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह के द्वारा की गयी थी। थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह को मैं भली–भाँति जानता हूँ, राजेश कुमार सिहं की मृत्यु कोविड काल में कोविड की बीमारी से ग्रस्त हो जाने के कारण हो गयी थी। मैने उनको लिखते–पढ़ते देखा है, मैं उनके हस्तलेख व हस्ताक्षर को भली–भाँति पहचानता हूँ। पत्रावली पर मौजूद दो नक्शा नजरी की छायाप्रतियां दिनांकित 14.03.2011 को देखकर साक्षी ने बताया कि यह दोनो नक्शा नजरी थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह के हस्तलेख मे है। इस पर उनके हस्ताक्षर बने है, इनकी मूल प्रतियाँ

पत्रावली के साथ संलग्न पत्रावली सत्र परीक्षण संख्या 403/2011 पर मौजूद है। इन दोनो छायाप्रतियों पर क्रमशः प्रदर्श क–5 व प्रदर्श क–6 डाला गया। थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह के स्थानांतरण के उपरान्त उपरोक्त मुकदमे की विवेचना नवनियुक्त थाना प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार तोमर द्वारा की गयी थी। मैं उस समय भी थाने पर तैनात था। निरीक्षक सुधीर कुमार तोमर की भी मृत्यु हो चुकी है, मैने निरीक्षक सुधीर कुमार तोमर को लिखते–पढ़ते देखा है। मैं उनके हस्तलेख व हस्ताक्षर को भली–भाँति पहचानता हूँ पत्रावली पर मौजूद नक्शा नजरी की छायाप्रति दिनांकित 29/03/2011 को देखकर साक्षी ने बताया कि यह नक्शा–नजरी निरीक्षक सुधीर कुमार तोमर के हस्तलेख मे है तथा इस पर उनके हस्ताक्षर बने है इसकी मूल प्रति पत्रावली के साथ संलग्न पत्रावली सत्र परीक्षण संख्या 403/2011 पर मौजूद है इस छायाप्रति पर क्रमशः प्रदर्श क–7 डाला गया। पत्रावली पर मौजूद आरोप पत्र संख्या 79/2011 दिनांकित 27.04.2011 व आरोप पत्र संख्या 79A/2011 दिनांकित 25.06.2011 की छायाप्रतियां मौजूद है जिनकी मूल प्रतियाँ पत्रावली के साथ संलग्न पत्रावली सत्र परीक्षण संख्या 403/2011 पर मौजूद है यह दोनो छायाप्रतियाँ निरीक्षक सुधीर कुमार तोमर के हस्तलेख मे है जिस पर उनके हस्ताक्षर बने है पहचानता हूँ साबित करता हूँ जिन पर क्रमशः प्रदर्श क–4 व प्रदर्श क–9 डाला गया। विवेचक ने मेरे बयान लिये थे।

5. <u>बहस/अधिवक्ताओं के तर्क–</u>

बहस का आरम्भ करते हुए विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा कहा गया कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षियों के बयानों से अभियुक्त के विरूद्ध मामला साबित है। मामले के सह–अभियुक्तगण खुर्शीद, नदीम व अमित पुत्र ओमप्रकाश को अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट, अमरोहा के निर्णय दिनांक 26.06.2015 के द्वारा दोषसिद्ध किया जा चुका है। अभियोजन के सभी साक्षियों ने घटना का समर्थन किया है। अतः अभियुक्त दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

बचाव पक्ष की ओर से कहा गया है कि अभियुक्त अमित पुत्र सुल्ली घटना में सम्मिलित नहीं था। पुलिस द्वारा बिना किसी साक्ष्य के उसे आरोपित किया गया है। साक्षी पी0 डब्लू0–2 देवेन्द्र सिंह धामा, जिनके द्वारा अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया था, ने अपने प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि घटना के समय पकड़े गये अभियुक्तगण ने न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त अमित पुत्र सुल्ली का नाम नहीं बताया था और न ही मौके पर इस अभियुक्त को देखा गया था। इस प्रकार अभियोजन के साक्षियों ने ही इस अभियुक्त की संलिप्तता को खण्डित कर दिया है। अन्य कोई साक्ष्य अभियुक्त के विरूद्ध नहीं है। सह-अभियुक्तों के बयानों के आधार पर आरोपित किया गया था। कोई बरामदगी भी नहीं हुई है। अतः अभियुक्त दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

6. <u>साक्ष्य का विश्लेषण–</u>

सुना गया तथा अवलोकन किया गया।

इस प्रस्तुत मामले में अभियुक्त पर यह आरोप है कि दिनांक 14.03.2011 को अभियुक्त ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर समय 10:45 बजे ग्रीन वैली होटल के पास वादी मुकदमा राजीव भटनागर की गाड़ी में रखे हुए दो बैग , जिनमें से एक में लैपटॉप था और दूसरे में 20,92,845/– रुपये थे , लूट लिये तथा वादी पर तमंचे से फायर करते हुए मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का प्रयास किया।

इस आरोप के सम्बन्ध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्षी वह व्यक्ति राजीव भटनागर है , जिससे बैग लूटे गये थे तथा वे अन्य व्यक्ति हैं , जो लूट की घटना के समय राजीव भटनागर के साथ उसकी कार में सवार थे। **अभियोजन के अनुसार राजीव भटनागर की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांकित 05.05.2021 पत्रावली पर दाखिल हैं।** अभियोजन के ही अनुसार घटना के समय राजीव भटनागर के साथ पी0 डब्लू0–1 तेजपाल तथा पी0 डब्लू0–3 सोनू मौजूद थे।

साक्षी पी0 डब्लू0–1 तेजपाल सिंह ने लूट की घटना का समर्थन करते हुए यह बताया है कि उसने एक अभियुक्त को जेल में तथा शेष चार अभियुक्तों को पुलिस थाने में पहचाना था।

बचाव पक्ष का यह कहना है कि इन पाँच अभियुक्तों में यह प्रस्तुत अभियुक्त अमित पुत्र सुल्ली सम्मिलित नहीं है।

अभियोजन की ओर से इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि पाँच अभियुक्त , जिनकी पहचान के बारे में बयान दिया गया है , उनका आरोप पत्र प्रदर्श क–8 दिनांक 27.04.2011 को दायर हुआ था और यह प्रस्तुत अभियुक्त , जिसका आरोप पत्र प्रदर्श क–9 दिनांक 25.06.2011 को दायर हुआ था। अभियोजन ने यह भी स्वीकार किया है कि इस अभियुक्त अमित पुत्र सुल्ली की कोई पहचान नहीं करवायी गयी।

उपरोक्तानुसार यह अभियुक्त मौके से गिरफ्तार नहीं हुआ था , फरार था तथा इसकी कोई पहचान भी नहीं हुई थी।

प्रतिपरीक्षा में साक्षी पी0 डब्लू0–1 ने यह कहा है कि न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त अमित को उसने नहीं देखा था और न ही पहचाना था।

घटना के समय उपस्थित दिखाये गये दूसरे साक्षी पी0 डब्लू0–3 ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह बयान दिया है कि न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त उसके द्वारा पहचानने में नहीं आ रहा है। प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने बयान दिया है कि न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को उसने मौके पर नहीं देखा था।

साक्षी पी0 डब्लू0 02 मौके से अभियुक्तों को गिरफतार करने वाले पुलिस निरीक्षक देवेन्द्र सिंह धामा ने अपनी प्रतिपरीक्षा में बयान दिया है कि घटना के समय पकड़े गये अभियुक्तगण ने अभियुक्त अमित पुत्र सुल्ली का नाम उसके सामने नहीं बताया था , न ही उसने मौके पर अमित को देखा था।

केस डायरी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि इस प्रस्तुत अभियुक्त का नाम सह–अभियुक्तों के बयानों में आया है। पुलिस के द्वारा सह–अभियुक्तों के कब्जे से रूपये , लेपटॉप व अवैध हथियारों की बरामदगी दिखायी गयी है , लेकिन इस प्रस्तुत अभियुक्त के कब्जे से कोई बरामदगी नहीं हुयी है। अभियोजन ने भी यह स्वीकार किया है कि इस प्रस्तुत अभियुक्त अमित पुत्र सुल्ली से कोई बरामदगी नहीं हुयी है।

उपरोक्तानुसार इस अभियुक्त का घटना में सम्मलित होना संदेह से परे साबित नहीं हो सका है , अन्य कोई साक्ष्य अभियोजन ने इस अभियुक्त के विरूद्ध प्रस्तुत नहीं किया है।

07. <u>अंतिम निष्कर्ष</u>–

इस मामले के समस्त तथ्य अभियुक्त अमित पुत्र सुल्ली पर लगाये गये आरोपों को संदेह से युक्त दर्शा रहे हैं। अभियोजन मामले को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अभियुक्त संदेह का लाभ पाने का अधिकारी है। अतः **अभियुक्त दोषमुक्त किये जाने योग्य है।**

सत्र परीक्षण सं0–403A/2011

आदेश

अभियुक्त **अमित पुत्र सुल्ली** को सत्र परीक्षण सं0 403 ए/2011 एवं मुकदमा अपराध सं0 161/2011 में लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 395, 397, 412 व 120 बी भारतीय दण्ड संहिता के अपराध से **दोषमुक्त किया जा रहा है।**

अभियुक्त के बन्धपत्र और प्रतिभूओं के बन्ध पत्र दायित्व से मुक्त किये जा रहे हैं।

धारा 437 ए दं0 प्र 0 सं0 के अन्तर्गत दाखिल मुचलके अपील किये जाने की अवस्था में अपीलीय न्यायालय के आदेश तक तथा अपील न किये जाने पर अपील की अवधि समाप्त होने तक प्रभाव में रहेंगे , उसके पश्चात स्वतः दायित्वों से मुक्त हो जायेंगे।

निर्णय की प्रति निःशुल्क अभियुक्त को उपलब्ध करवायी जाए।

दिनांक– 03.06.2026

(संजय चौधरी)
Id. No:–UP6401
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–03
जनपद अमरोहा

निर्णय आज खुले न्यायालय में दिनांकित करके सुनाया गया और हस्ताक्षरित किया गया।

दिनांक– 03.06.2026

(संजय चौधरी)
Id. No:–UP6401
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–03
जनपद अमरोहा।